श्रमिक संगठनों की सदस्य संख्या का फैसला फिर टला

नयी दिल्ली, 20 सितम्बर (वार्ता)। देश में राष्ट्रीय स्तर के श्रमिक संगठनों की सदस्य संख्या प्रकाशित करने का मामला फिर से खटाई में पड़ गया है।

31 दिसम्बर 1989 को आधार तारीख मानकर जांच के बाद सदस्य संख्या के बारे में घोषित अस्थायी नतीजे के बारे में इतनी आपत्तियां प्राप्त हुई हैं कि नतीजों की पुष्टि और अंतिम प्रकाशन से पूर्व विचार विमर्श के लिए श्रमिक संगठन की स्थायी समिति की बैठक अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी।

श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार स्थायी समिति द्वारा स्वीकार की गयी प्रक्रिया के अनुसार हुई जांच के बाद सदस्य संख्या के बारे में अस्थायी नतीजे श्रमिक संठनों को चार और पांच अगस्त को देकर बताया गया था कि केवल सदस्य संख्या के बारे में आपत्तियां एक महीने के भीतर पेश की जाएं।

इन पर विचार विमर्श के लिए 15 सितम्बर को स्थायी समिति की बैठक होनी थी लेकिन श्रमिक संगठनों ने सदस्य संख्या के अलावा अन्य कई आपत्तियां भेजी हैं जिनके वर्गीकरण में काफी समय लगेगा। फलस्वरूप स्थायी समिति के संयोजक केन्द्रीय श्रम आयुक्त ने बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है।

श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार विभिन्न राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों से सम्बद्ध सोलह हजार में से एक हजार तीन सौ से अधिक संघों की सदस्य संख्या के बारे में आपत्तियां उठायी गयी हैं।

सदस्य संख्या की जांच के लिए संघों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में कृषि को छोड़कर शेष क्षेत्रों में कार्यरत संघों को जबकि दूसरी श्रेणी में केवल कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में सक्रिय श्रमिक संघों को रखा गया था।

सदस्य संख्या की जांच के अस्थायी नतीजों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत सभी प्रमुख श्रमिक संगठनों के सदस्य संख्या के बारे में दावे गलत पाये गये। चार प्रमुख संगठनों में से भारतीय मजदूर संघ ने 40 लाख 31 हजार 424 सदस्य संख्या का दावा किया था लेकिन जांच के बाद पेश अस्थायी नतीजों के अनुसार सदस्य संख्या 27 लाख 69 हजार 536 पायी गयी। सदस्य संख्या के मामले में भारतीय मजदूर संघ ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) को पीछे छोड़ दिया है। जो अभी तक पहले स्थान पर रहा है।

इंटक ने 54 लाख 35 हजार 705 सदस्य संख्या का दावा किया था, लेकिन अस्थायी नतीजों के अनुसार सदस्य संख्या 25 लाख 87 हजार 378 पाई गयी। इंटक से सम्बद्ध संघों की संख्या 4428 है जबकि भारतीय मजदूर संघों से सम्बन्ध संघों की संख्या 2871 है।

अस्थायी नतीजों के अनुसार सदस्य संख्या के मामले में अब इंटक दूसरे स्थान पर है। सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) और हिंद मजदूर संघ (एच.एम.एस.) सदस्य संख्या की दृष्टि से क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं जिनकी सदस्य संख्या 17 लाख 68 हजार 44 और 13 लाख 18 हजार 804 पाई गयी। इसके बाद आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) का नंबर है जिसने 29 लाख 73 हजार 333 सदस्य होने का दावा किया था लेकिन अस्थायी नतीजों के अनुसार इससे सम्बद्ध 2996 संघों की सदस्य संख्या नौ लाख पांच हजार 975 पाई गयी।

अस्थायी नतीजों के अनुसार अन्य श्रमिक संगठनों की स्थिति इस प्रकार है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (लेनिन सारणी) चार लाख 33 हजार 416, नेशनल फेडरेशन आफ इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियनस (एन.एफ.आई.टी.यू.) तीन लाख 63 हजार 647 यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस दो लाख 29 हजार 225, नेशनल लेबर आर्गनाइजेशन (एन.एल.ओ.) एक लाख 36 हजार 413 और ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशन कमेटी (टी.यू.सी.सी.) 30 हजार 798 कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक संगठनों की सदस्य संख्या के मामले में अस्थायी नतीजों के अनुसार यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (लेनिन सारणी) तीन लाख 69 हजार 390 सदस्य संख्या के साथ पहले स्थान पर है। भारतीय मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे जिनकी सदस्य संख्या क्रमशः तीन लाख 47 हजार 768 और तीन लाख 10 हजार 293 पायी गयी। इसके बाद ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशन कमेटी हिंद मजदूर सभा और इंटक का स्थान है।

केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की सदस्यता की जांच विभिन्न अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय सम्मेलनों, समितियों, परिषदों आदि में प्रतिनिधित्व दिये जाने के उद्देश्य से किया जाता है।